2\. संविदा के आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–4569/वि० दिनांक 05.07.02 के आलोक में निम्नांकित सेवा शर्तों के अनुरूप सुविधायें देय होंगी :–

(i) इन पदाधिकारियों की पदभार ग्रहण की तिथि से नियुक्ति मान्य होगी।

(ii) मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के द्वारा लिए गए निर्णय, जो विभागीय संकल्प संख्या– 1452 दिनांक 09.05.2007 के द्वारा निर्गत है, के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं से पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी, जिनका प्रत्येक वर्ष एवं समय–समय पर performance evaluation किया जाएगा।

(iii) सहायक अभियंता को वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 965 दिनांक 25.03.2009 के अनुसार रू० 20,000/–रू० (बीस हजार रू०) एवं कनीय अभियंता को 15,000/–रू० (पन्द्रह हजार रू०) नियत मासिक परिलब्धि भुगतेय होगी।

(iv) नियत मासिक परिलब्धि के अलावे इन पदाधिकारियों को अन्य किसी प्रकार के भत्ते एवं आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

(v) सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए झारखण्ड सरकारी यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधानों के तहत् नियमानुकूल यात्रा भत्ता देय होगा।

(vi) इस नियुक्ति के फलस्वरूप प्रसंगाधीन पदाधिकारी पेंशन फायदे का हकदार नहीं होंगे, परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियम के अनुसार चिकित्सीय सुविधा के हकदार होंगे।

(vii) इन पदाधिकारियों को कैलेण्डर वर्ष के लिये राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(viii) इन पदाधिकारियों का अन्य राज्य कर्मियों की तरह पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।

(ix) इन पदाधिकारियों पर राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।

(x) किसी भी पदाधिकारी की सेवा असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में निर्धारित नियोजन अवधि के पूर्व भी सेवा समाप्त की जा सकती है और इसके विरूद्ध ऐसे पदाधिकारी किसी भी स्तर पर न्यायालीय अपील नहीं करेंगे।

(xi) शहरी स्थानीय निकाय में कार्यरत सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उक्त शहरी स्थानीय निकाय के संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन रहेंगे तथा कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

नियुक्ति के प्रस्ताव एवं पदस्थापन में महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(पी० के० साजोरिया)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 1स्था०/मु०स्था०/101/2005................/ राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 1स्था०/मु०स्था०/101/2005 2582/ राँची, दिनांक– 20-07-10

प्रतिलिपि:– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/महामहिम राज्यपाल के सलाहकार (नगर विकास विभाग)/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड/झारखण्ड सरकार के सभी प्रधान सचिव/विभागीय सचिव/संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित सभी उपायुक्त/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० 1/स्था०/मु०स्था०/101/2005.......97. राँची, दिनांक- 20-07-10

नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या- 1/स्था०/मु०स्था०/न०वि०/140/2009- 692 दिनांक 22.02.10 के आलोक में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के पदों पर संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त करने हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन-सह-विशेष सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2010 एवं 11.04.10 को ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड में गठित साक्षात्कार बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को संविदा के आधार पर मंत्रिपरिषद् झारखण्ड के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पाँच वर्षों के लिये नियुक्त करते हुये उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम	पदनाम	पदस्थापन का स्थान
1	श्री तनु प्रसाद	सहायक अभियंता	चास नगर पर्षद, चास (बोकारो)
2	श्री राजेश कुमार	सहायक अभियंता	लोहरदगा नगर पर्षद
3	श्री मनोज कुमार झा	सहायक अभियंता	आदित्यपुर नगर पर्षद
4	श्री अजय कुमार सिंह	सहायक अभियंता	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
5	श्री समीर कुमार सिन्हा	सहायक अभियंता	देवघर नगर पालिका
6	श्री राजेश कुमार	सहायक अभियंता	गिरिडीह नगर पर्षद
7	श्री उमाकान्त पाण्डेय	सहायक अभियंता	मेदनीनगर नगर पर्षद
8	श्री अर्जुन प्रसाद	सहायक अभियंता	गुमला नगर पंचायत
9	श्री राजीव श्रीवास्तव	सहायक अभियंता	चाईबासा नगर पर्षद
10	सुश्री संध्या कुमारी	कनीय अभियंता	खूँटी नगर पंचायत
11	श्री दुष्यंत कुमार कच्छप	कनीय अभियंता	सरायकेला नगर पंचायत
12	श्री गोविन्द कुमार	कनीय अभियंता	बुण्डू नगर पंचायत
13	श्री राणा भीम प्रताप सिंह	कनीय अभियंता	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति
14	श्री प्रमोद कुमार सत्यार्थी	कनीय अभियंता	कोडरमा नगर पंचायत
15	श्री कमलेश्वर महतो	कनीय अभियंता	चिरकुण्डा नगर पंचायत
16	श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	कनीय अभियंता	सिमडेगा नगर पंचायत
17	श्री मो० नाजिम नैयर	कनीय अभियंता	राजमहल नगर पंचायत
18	श्री मुकुल कुमार	कनीय अभियंता	देवघर नगरपालिका
19	मो० इफ्तेखार अहमद	कनीय अभियंता	मिहिजाम नगर पंचायत
20	श्री राम कुमार चौधरी	कनीय अभियंता	गढवा नगर पंचायत
21	श्री संदीप कुमार गुप्ता	कनीय अभियंता	हुसैनाबाद नगर पंचायत
22	श्री संजय कुमार सिन्हा	कनीय अभियंता	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
23	श्री पवन खलको	कनीय अभियंता	फुसरो नगर पर्षद
24	श्री अजय टोप्पो	कनीय अभियंता	चास नगर पर्षद
25	श्री आलोक कुमार	कनीय अभियंता	जामताडा नगर पंचायत
26	श्री अखिलेश्वर राम	कनीय अभियंता	लातेहार नगर पंचायत

19/7/10

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी- सह-उपायुक्त,पलामू।
(गोपनीय शाखा)

आदेश

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, मेदिनीनगर-सह- नगर पंचायत, विश्रामपुर, पलामू के पत्रांक 230/दिनांक 28.02.11 के द्वारा विश्रामपुर नगर पंचायत में सहायक अभियता एवं कनीय अभियंता नही रहने के कारण कार्यो में हो रही कठिनाई का जिक करते हुए श्री उमाकान्त पाण्डेय, सहायक अभियंता, नगर पर्षद, मेदिनीनगर एवं श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विश्रामपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त विश्रामपुर नगर पंचायत के कार्य करने हेतु प्राधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में श्री उमाकान्त पाण्डेय, सहायक अभियंता, नगर पर्षद, मेदिनीनगर एवं श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विश्रामपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त विश्रामपुर नगर पंचायत के कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/-
उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 848/गो0, दिनांक 16.3.2011

प्रतिलिपि :- उमाकान्त पाण्डेय, सहायक अभियंता, नगर पर्षद, मेदिनीनगर एवं श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विश्रामपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, मेदिनीनगर-सह-नगर पंचायत, विश्रामपुर, पलामू को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, पलामू।